उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

"पिकप भवन" तृतीय तल, बी ब्लाक, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ

F 37694

संदर्भ सं०.................. /सी-5/NOC-79/2004/11 दिनांक 23-12-04

सेवा में,

मे० मंगलम कैमिकल्स प्रा०लि०,
टी जे मार्केट, ८८-सी,
सिविल लाइन्स, बरेली

....

....

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक .... २१.१.०३ .... का संदर्भ लें आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1- अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :—

(क) स्थल : प्लाट नं०-आर-३ एवं आर-४
औद्योगिक क्षेत्र, परसाखेड़ा, बरेली

(ख) उत्पादन : फर्मलडिहाइड - १५ टन/दिन

(ग) मुख्य कच्चे माल : ....

मेथेनाल – ८ मी टन/दिन

....

पानी

....

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : ....

२ कि०ली०/दिन

....

....

(ङ) प्रयुक्त ईंधन : ....

लकड़ी– ५ कुन्तल प्रतिमाह

६०० किग्रा०/प्रति घंटा बेत्री ब्वायलर हेतु

६२.५ केवीए के डीजी सेट हेतु डीजल ....

....

उपयुक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2- उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम २ माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4- उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाय।

5- घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ·········· ०.४ केएलडी/दिन ·················· से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाय।

6- प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिए गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक १९.१२.७४ तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७- उद्योग परिक्षण उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व बोर्ड को सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

८- उद्योग लीकेज/स्पीलेज एवं आकस्मिक फलोर वाशिंग से जनित उत्प्रवाह २.० केएल/दिन के शुद्धिकरण हेतु कलैक्शन,न्यूट्रलाइजेशन एवं सेटलिंग टैंक की स्थापना तथा चिमनी की सूचित ऊंचाई की चिमनी परिक्षण उत्पादन से पूर्व स्थापित करना सुनिश्चित करें।

९- उद्योग परिसर के तीन तरफ ५.० मी० चौड़ी हरित पटिटका को विकसित करें।

१०-पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के अंतर्गत वर्णित समस्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

११-यह आदेश निर्गमन तिथि से अगले एक वर्ष तक ही विधिमान्य होगा।

१२-यदि उपरोक्त शर्तों का अनुपालन उत्पादन से पूर्व नहीं किया जा सकेगा, तो जमा बैंक गारंटी की धनराशि जब्त की जा सकती है।

१३-उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व एक रूफ टाप रेन वाटर पद्वति की स्थापना की जायेगी

10-

11-

12-

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तो में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक.................तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं० /एन०ओ०सी० तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1- ....

....

2- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ....
बरेली
....

3- मुख्य पर्यावरण अधिकारी/पर्यावरण अभियन्ता/उपकर अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।

४- नोडल अधिकारी (संगणक), संगणक अनुभाग, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

५- क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण बोर्ड ....
बरेली
....

मुख्य पर्यावरण अधिकारी/पर्यावरण अभियन्ता
(सर्किल–५)